न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 19/2020-21

प्रथम पक्ष – संजय कुमार गुप्ता पिता मनोहर गुप्ता
ग्राम– तपकारा, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी।

द्वितीय पक्ष – अंचल अधिकारी, तोरपा।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
25.01.21	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–191R27/19-20 में अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.20 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित हैः–	

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
बासकी	तोरपा 68	01	288	0.06

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, तोरपा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक ने उक्त भूमि कमला देवी पति स्व0 रामनरेश भगत ग्राम–तोरपा, थाना–तोरपा से रजिस्ट्री पट्टा सं0 1142/1122 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक के द्वारा 12 डीसमील जमीन नामांतरण करने का आवेदन दिया गया है। बिक्री पट्टा के अनुसार 6 डीसमील भूमि का क्रय किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सूना एवं पाया कि आवेदक द्वारा निबंधन पट्टा सं01142/1122 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा मौजा बासकी थाना तोरपा के खाता सं0 01, प्लॉट सं0 288, रकबा 12 डी0 मधे रकबा 06 डी0 भूमि का क्रय किया है। आवेदक ने भूलवश रकबा 12 डी0 भूमि का नामांतरण हेतु कर दिया है।

अतः अधिकारी, खूँटी को Remand निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः नये शीरे से आवेदन प्राप्त करते हुए दाखिल–खारिज हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.11.29 11:40:02 +05:30
Location: 192.168.1.2

25/01/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

25/01/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।